2016/0007

मि0 नं0 19/2016 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम चोथमल पुत्र पन्नालाल मेहर नि0 सुल्तानपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री चोथमल पुत्र पन्नालाल मेहर निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद को ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद की ख0 नं0 437 रकबा 9 बीघा भूमि आवंटित हुई थी । उक्त आवंटी को दिनांक 18.10.76 को कब्जा सुपुर्द/दखल दिया गया था । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 11.04..2016 को प्रस्तुत किया है । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2017 से अवगत कराया कि अप्रार्थी का स्वर्गवास हो गया है । तामील कुनन्दा की रिपोर्ट के आधार पर आवंटी मृतक के कायम मुकामान की सूची मंगवाने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक–रीडर/एडीएम/16/1132 दि0 13.06.2017, 1908 दि0 16.10.2017,, 20 दि0 02.01.2018, 519 दि0 18.06. 2018, 63 दि0 04.01.2019 व 771 दि0 08.08.2019 से तहसीलदार दीगोद को लिखे जाने के उपरान्त भी तहसीलदार दीगोद द्वारा मृतक के कायम मुकामान की सूची नही भिजवाई है । जिससे अप्रार्थी के कायम मुकामान की तलबी किया जाना संभव नही है । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी के वारिसान की जांच कर वासियान के सही पते अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार दीगोद को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	